


05/10/2023

वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी ने बताया कि ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल के वर्तमान खसरा नम्बर 86 रकबा 0.76 है0 में प्रार्थी की जाति कुम्हार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर के सम्वंत 2039 से 2040 में ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल के खसरा नम्बर 192/1 रकबा 0.76 है0 में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वजो की जाति गुर्जर दर्ज रही है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2045 के पश्चात् भूलवश प्रार्थी की जाति गुर्जर के स्थान पर कुम्हार दर्ज कर दिया गया। जो लगातार जमाबंदी में चली आ रही है। यह है कि प्रार्थी की वास्तविक जाति गुर्जर है, जो सही एवं सत्य है। रिकार्ड पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर गुर्जर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई एवं तहसीलदार, नीमकाथाना रिपोर्ट दिनांक 27.09.2023 का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल के भूमि खाता संख्या 94 के भूमि खसरा नम्बर 86 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी-III की खातेदारी गणपत पुत्र जोरा जाति कुम्हार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2040 में खसरा नम्बर 86 (पुराना खसरा नम्बर 192/1) की गैर खातेदारी गणपत पुत्र जोरा जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी 2042 से 2045 में खसरा नम्बर 192/1 की खातेदारी गणपत पुत्र जोरा हिस्सा 1/2 सा.देह के नाम दर्ज है, जिसमें जाति का अंकन नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खसरा नम्बर 86 की खातेदारी गणपत पुत्र जोरा हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 85 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करते समय प्रार्थी की जाति दर्ज होना छुट गया। उक्त खसरे में 1/2 हिस्से पर खातेदार लच्छा पुत्र ईसरा कौम कुम्हार दर्ज होने से प्रार्थी गणपत पुत्र जोरा के नाम के आगे भी जाति गुर्जर की बजाय कुम्हार दर्ज हो गयी। अतः प्रार्थी की जाति कुम्हार के स्थान पर गुर्जर दर्ज काबिले दुरुस्ती पाये जाने से दुरुस्त किया जाना उचित समझते है।





(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कुवांरा पटवार हल्का नाथा की नांगल के खसरा नम्बर 86 रकबा 0.76 में दर्ज प्रार्थी की जाति कुम्हार के स्थान पर गुर्जर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (राज.)